कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ़

सरायत नामा, विज्ञापन शुल्क, होर्डिंग शुल्क, वालपेन्टिंग शुल्क, साईन बोर्ड

1. निविदा विज्ञापन शुल्क, होर्डिंग शुल्क, वालपेन्टिंग, साइन बोर्ड वित्तीय वर्ष 2016–2017 31, मार्च तक मान्य होगा।
2. निविदादाता को नवीनतम हैसियत प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र, टीन नम्बर, पैन नम्बर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. अधिकतम निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के तुरन्त बाद निविदा का 60 प्रतिशत पालिका कोष में जमा करना होगा एवं 03 माह के बाद शेष धनराशि / दिसम्बर, 2016 में जमा करना अनिवार्य होगा।
4. यदि अधिकतम निविदादाता (प्रथम) निविदा स्वीकृत के बाद 60 प्रतिशत धनराशि जमा करने में असफल होता है तो प्रतिभूत धनराशि जब्त करते हुए द्वितीय निविदादाता के पक्ष में निविदा स्वीकृत की जायेगी।
5. निविदादाता को स्टाम्प अधिनियम के संसुगत प्राविधानों के तहत निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा।
6. उप विधि के मान्य नियमों के तहत ही होर्डिंग शुल्क, वालपेन्टिंग, साइन बोर्ड की वसूली करना अनिवार्य होगा। यदि ठेकेदार चूक करता है तो उसकी निविदा नियमानुसार निरस्त कर दी जायेगी।
7. निविदादाता / ठेकेदार को किसी भी प्रकार से बल प्रयोग द्वारा होर्डिंग शुल्क, विज्ञापन शुल्क आदि की वसूली नही करेगा।
8. यदि ठेकेदार द्वारा बल पूर्वक वसूली की जाती है तो प्राथमिकी दर्ज होने पर फर्म / ठेकेदार स्वंय जिम्मेदार होगा।
9. यदि किसी प्रकार का वाद योजित होता है तो उसका परिक्षेत्र आजमगढ़ न्यायालय ही होगा।
10. यदि ठेकेदार द्वारा स्वीकृत निविदा जमा करने में चूक होती है तो उपरोक्त की वसूली भू–राजस्व की भॉति वसूली करने का अधिकार नगर पालिका परिषद / जिलाधिकारी आजमगढ़ में निहित होगा।
11. वर्जित क्षेत्र / निषिद्ध क्षेत्र में होर्डिग / विज्ञापन का प्रर्दशन करना निषिद्ध होगा।
12. पालिका द्वारा निर्धारित स्थान पर ही होर्डिंग / विज्ञापन पट्ट लगाये जायेगें। किसी भी तरह से आवागन, जनसुरक्षा, मार्ग अवरूद्ध करना निषिद्ध होगा।
13. ठेकेदार को सड़क के मुख्य मार्गो पर विज्ञापन शुल्क लिये जाने हेतु सूचना / दरो का प्रदर्शन करना होगा।
14. शासन / जिला प्रशासन से यदि कोई निर्देश / आदेश प्राप्त होते हैं तो ठेकेदार / फर्म को मानना अनिवार्य होगा।
15. किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा को समाप्त करने का अधिकार नगर पालिका परिषद अध्यक्ष में निहित होगा।

कर निर्धारण अधिकारी	अधिशासी अधिकारी	अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद,	नगर पालिका परिषद	नगर पालिका परिषद
आजमगढ़	आजमगढ़	आजमगढ़